नगर निगम मुरादाबाद।

शुद्धि पत्र

दिनांक 06.05.2018 को समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान में पत्रांक 43/पी0ए0–2/मु0अभि0/न0नि0मु0/2018 दिनांक 05.05.2018 को प्रकाशित **एक कार्य कान्हा गौशाला** की ई–निविदा जो दिनांक 28.05.2018 को आमन्त्रित थी में त्रुटिवंश बेबसाइट **www.tenderwizard.com/EUP** छप गया है। जिसे बेबसाइट https://etender.up.nic.in पढा जाये एवं शर्त संख्या–16 में रूपया 115.08 लाख के 50 प्रतिशत से "अधिक का कार्य" की जगह "अधिक का एक कार्य" पढ़ा जाये।

शेष शर्तें यथावत रहेगी।

मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, मुरादाबाद।

नगर आयुक्त
नगर निगम, मुरादाबाद।

पत्रांक 44 /पी.ए.–2/मु.अभि./न.नि.मु./2018 दिनांक 06.05.18

प्रतिलिपि

1. लेखाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. नाजिर/आई0टी0अधिकारी को निविदा नोटिस नगर निगम की बेबसाइट पर जारी किये जाने हेतु।
3. नगर निगम के समस्त नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
4. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र " हिन्दुस्तान | अमर उजाला " समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ को छोडकर फॉट (08) के न्यूनतम साइज में एक बार प्रकाशित करते हुये समाचार पत्र की 07 प्रतियॉ सहित बिल भुगतान हेतु कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

नगर आयुक्त
नगर निगम मुरादाबाद।

नगर निगम मुरादाबाद।
निविदा आमन्त्रण सूचना

नगर निगम मुरादाबाद में पंजीकृत/नवीनीकृत ठेकेदारों से **कान्हा गौशाला निर्माण हेतु** दिनांक **28.05.2018** को सांय 4.00 बजे तक ई–निविदायें आंमन्त्रित की जाती है। बेबसाइट https://etender.up.nic.in पर निविदा प्रपत्र ऑनलाईन भुगतान द्वारा निर्धारित मूल्य जमा कर दिनांक **06.05.2018** से **28.05.2018** की सांय 4.00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड किया जा सकता है। कार्य की निविदा शुल्क बैक ड्राफ्ट के रूप में नगर आयुक्त नगर निगम मुरादाबाद के पक्ष एवं 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 टेण्डर क्रय करने से पूर्व संलग्न कर जमा करनी होगी तथा शेष 08 प्रतिशत धनराशि की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 निविदा स्वीकृति के समय देय होगी जो कि मुख्य अभियन्ता नगर निगम मुरादाबाद के नाम बन्धक होगी। धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 को दिनांक **28.05.2018** सांय 4.00 बजे तक मुख्य अभियन्ता कार्यालय कक्ष में रखे सील्ड बाक्स में डाला जायेगा, यदि निविदा तिथि को अवकाश होता है तो निविदा अगले कार्यदिवस को खोली जायेगी। ई–निविदा में कोई भी संशोधन/परिमार्जन/परिवर्तन की सूचना को बेबसाईट पर ही अपलोड किया जायेगा।

क्र.स.	कार्य का विवरण	धनराशि लाख में	जमानत धनराशि लाख मे	निविदा मूल्य (18%GST (Extra)	अवधि
1.	नगर निगम मुरादाबाद में "कान्हा गौशाला के निर्माण का कार्य। पार्ट–ए	115.08	2.31	10500.00	4 माह

शर्ते :–

1. किसी भी अथवा समस्त ई–निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित है।
2. प्रत्येक कार्य के सम्मुख अंकित धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 जोकि मुख्य अभियन्ता नगर निगम मुरादाबाद के नाम बन्धक होगी। उक्त एफ0डी0आर0 की मूल प्रति निर्धारित तिथि को मुख्य अभियन्ता कार्यालय कक्ष में रखे सील्ड बॉक्स में डालना अनिवार्य होगा। एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के लिफाफे पर कार्य का नाम तथा फर्म का नाम अंकित किया जायेगा। धरोहर राशि न पाये जाने की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जोयगा।
3. यदि निविदादाता आगणन से कम पर निविदा डालता है तो उसे शासनादेश संख्या–622/23–12–2012–2 आडिट/8टी0सी0–2,लखनऊ दिनांक 08.06.2012 के अनुसार अतिरिक्त परफोमेन्स सिक्योरिटी जमा करनी होगी।
4. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि निविदा डालने से पूर्व उ0प्र0 भवन एवं कर्मकार (नियोजन तथा सेव शर्ते विनियमन अधिनियम–2005) के तहत श्रमिक कर्मचारी के कल्याणार्थ श्रम विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
5. प्रमुख सचिव के पत्र संख्या–3385/86–2015–292/2015 दिनांक 15 अक्टूबर 2015 के अनुपालन में प्राप्त किये जाने वाले उपखनिजो पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान बैध अभिवहन प्रपत्र (एफ0एम0–11) के आधार पर परिवहन किये जाये। बिना बैध अभिवहन प्रपत्र (एमएम–11)के किया जाता है तब प्रयुक्त उपखनिज की रायल्टी के साथ साथ खनिज मूल्य (सामान्य रायल्टी का पॉच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से करते हुए लेखा शीर्षक में जमा करा दी जोयगी।
6. निविदादाता द्वारा किसी भी संस्था में काली सूची में दर्ज न होने का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. फर्म द्वारा यदि कोई प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है तो फर्म द्वारा इस हेतु जारी अधिकृत प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
8. टेण्डर स्वीकृत होने के उपरान्त निर्धारित कीमत के स्टाम्प पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा तथा साथ ही एक बॉण्ड/शपथपत्र भी देना होगा।
9. शासनादेश अनुसार टेण्डर के साथ रूपया 100.00 के स्टाम्प पेपर पर स्व–घोषणपत्र, शपथपत्र नोटरी द्वारा सत्यापित करा कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
10. स्वीकृत निर्माण कार्य के सापेक्ष भुगतान शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार एवं शासन से धन उपलब्ध होने पर किया जायेगा।
11. लेबर सैस की कटौती 1 प्रतिशत की दर से ठेकेदार के देयक से की जायेगी।
12. कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार मात्राओं में विचलन मुख्य अभियन्ता के अनुमोदन से हो सकता है जिसके लिये ठेकेदार बाध्य होगा।
13. ऐसे निविदादाता जिनका आपराधिक रिकार्ड है वह टेण्डर प्रक्रिया में भागीदारी नहीं कर सकेगें।
14. कार्य के दौरान कार्यरत श्रमिक/स्टाफ का डेलीवे, इन्सोरेन्स, सुरक्षा इत्यादि व लेवर नियम का पालन करने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
15. जी0एस0टी0 का भुगतान प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ के शासनादेश संख्या–84/नौ–9–2018–81ज/2017 दिनांक 16 फरवरी 2018 में दिये गये निर्देशानुसार किया जायेगा।
16. निविदा में वही ठेकेदार भाग ले सकते है जिन्होने गत वर्ष निविदा धनराशि या उससे अधिक मूल्य का एकल सिविल कार्य कराया है या कराया जा रहा है जिसमें निविदा मूल्य 115.08 लाख के 50 प्रतिशत से अधिक का एक कार्य बिल्डिंग का होना चाहिये कार्य अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड कराना अनिवार्य हैं इसके न होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त निविदा सूचना एवं शर्तो नगर निगम मुरादाबाद की बेवसाइट www.moradabadnagarnigam.in पर भी उपलब्ध है।

मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, मुरादाबाद।

नगर आयुक्त
नगर निगम, मुरादाबाद।

पत्रांक 44 /पी.ए.–2/मु.अभि./न.नि.मु./2018
प्रतिलिपि

दिनांक 06-05-18

1. लेखाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. नाजिर/आई0टी0अधिकारी को निविदा नोटिस नगर निगम की बेबसाइट पर जारी किये जाने हेतु।
3. नगर निगम के समस्त नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

नगर आयुक्त
नगर निगम मुरादाबाद।